

16.06 hrs.

Title: Introduction of the Airports Authority of India (Amendment) Bill, 2003

MADAM CHAIRMAN : Before I call the next speaker, I have to inform the hon. Members that a Supplementary List of Business has been circulated, according to which the Airports Authority of India (Amendment) Bill, 2003 is to be introduced by Shri Syed Shahnawaz Hussain, Minister for Civil Aviation.

Before I ask the Minister of Civil Aviation to seek leave of the House to introduce the Airports Authority of India (Amendment) Bill, 2003, I have to inform the House that the President, having been informed of the subject matter of the proposed Bill, recommends under clauses (1) and (3) of article 117 of the Constitution, the introduction and consideration of the Bill by Lok Sabha.

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ

" कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Airports Authority of India Act, 1994."

The motion was adopted.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II-Section-2 dated 7.5.200

** Introduced with the recommendations of the President

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, मंत्री जी ने पहले विधेयक वापस लिया, फिर झटपट एक्सप्रेस बिल बहस के बीच में ले आए। ऐसा क्यों हुआ और सरकार की क्या मजबूरी थी, इस बात को यहां साफ किया जाए। **वेदिका (व्यवधान)**

सभापति महोदया: अभी इंट्रोडक्शन है। जब इस विषय पर चर्चा होगी, तब इसके बारे में बताया जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नियम 72 के अधीन हमें इंट्रोडक्शन के समय इसका विरोध करने का अधिकार है या नहीं? सरकार बताए कि अभी इंट्रोड्यूस करने की क्या इमर्जेसी थी?

सभापति महोदया: कोई इमर्जेसी नहीं है। स्पीकर साहब ने परमीशन दी है। हाउस की राय लेकर मंत्री जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार बताए कि इन कारणों से सारे नियम ताक पर रख कर इसे इंट्रोड्यूस करने की इजाजत दी गई।

MADAM CHAIRMAN: I took the opinion of the House. The House agreed and as per the agreement of the House it has been introduced.